मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 58/3/2017/19/यो 516 भोपाल, दिनांक 27/जनवरी/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता
   लोक निर्माण विभाग
   निर्माण भवन,
   भोपाल।
2. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्य प्रदेश।

विषयः— लोक निर्माण विभाग को ट्रायबल विभाग के पम्प उर्जीकरण के सौंपे गए डिपाजिट कार्यो के संबंध में।

—00—

यह अवगत कराया गया है कि विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संभागों द्वारा पम्प उर्जीकरण एवं ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य जिला स्तर पर स्वीकार किये जाते है। लोक निर्माण विभाग में इस कार्य के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त अमला न होने के कारण यह कार्य समय पर एवं उचित गुणवत्ता का कराया जाना संभव नहीं होगा। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बिना प्रमुख अभियंता की अनुमति से कोई भी संभाग स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के कार्य स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व में जो कार्य उन्हें प्रदाय किये गये हैं उनकी राशि भी संबंधित विभाग को तत्काल वापस की जाए क्योंकि इस प्रकार के कार्य संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ही किया जाना उचित होगा। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ही निर्माण के पश्चात् इन आस्तियों को अपने स्वामित्व एवं सांधारण में लिया जाता है। अतः उचित होगा कि इस प्रकार के निर्माण कार्य उन्हीं कम्पनियों द्वारा किया जाए।

कृपया उर्पयुक्त निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।

सहपत्रः—

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

क्रमांक एफ 58/3/2017/19/यो 517 भोपाल, दिनांक 27/जनवरी/2017

प्रतिलिपिः— प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजकर अनुरोध है कि भविष्य में पम्प उर्जीकरण के कार्य लोनिवि को न सौंपें जाये एवं साथ ही जो कार्य विभाग को सौंपे गये है उन्हें लोनिवि से वापिस ले लिया जाये।

सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

MAYANK